अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री समीर अहमद खान एड	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
	मदन बनाम सरकार	
08.9.2022	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र पेश हुई । अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक को धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 29.08.2022 को सुना गया। समयाभाव के कारण आदेश नही लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.09.2022 को पेश हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
15.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश हुई । सर्वप्रथम अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2022 की जानकारी तो थी परंतु प्रार्थी इसी विश्वास में रहा कि उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही हो जाएगा परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बार बार पेशी दिए जाने के बावजूद भी प्रकरण में आगामी पेशी दी गई तो प्रार्थी को अपने अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि उपरोक्त आदेश के विरूद्ध आप चाहो तो राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हो तब प्रार्थी ने नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 21.07.2022 को प्राप्त हुई तत्पश्चात प्रार्थी अपने दस्तावेज लेकर दिनांक 3.8.2022 को अजमेर आया तथा अपना अधिवक्ता नियुक्त कर यह अपील प्रस्तुत करवाई है जिसमें जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है बल्कि जो देरी हुई है वह सदभाविक है जिसे क्षमा किया जाना न्यायिक एवं आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी का न्यायहित में क्षमा कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र स्थगन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं वाद जो उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया है पर वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है तथा हल्का पटवारी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह गलत रूप से प्रस्तुत की है तथा तहसीलदार ने उपरोक्त कथनों का पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की जाकर अग्रिम कार्यवाही के बाबत वाद प्रस्तुत किया है जबकि इन्ही पक्षकारान के मध्य जिसमें अन्य वाद बाबत बंटवारे का विचाराधीन था जिसके बाबत स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को प्रारंभिक रूप से डिक्री कर दिया जो लगभग 1 वर्ष से विचाराधीन है तथा इसी भूमि को रूपांतरित करवाने हेतु अपीलांट की ओर से सक्षम अधिकारी के समक्ष आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर में जरिए चालाने के पैसे भी दिनांक 24.05.2022 को ही जमा करवा दिए गए किंतु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गैर सायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का आदेश पारित किया है। उपरोक्त भूमि के बाबत पक्षकारों के मध्य बंटवारे का वाद सन् 2021 से विचाराधीन है परंतु उसके पश्चात उपरोक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए और उसमें भूमिधारी के पक्षकार बने रहने के बावजूद भी पुनः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस प्रकार का वाद प्रस्तुत किया है जो कानूनन संधारण योग्य नहीं था तथा ऐसे वाद के	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जो संधारण योग्य नहीं था परंतु फिर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उपरोक्त भूमि के बाबत सर्वप्रथम तो पक्षकारों के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी की हुई है द्वितीय उपरोक्त भूमि के बाबत सक्षम न्यायालय/ कार्यालय में कार्यवाही की जा चुकी है जिसमें दिनांक 24.05.2022 को नगर परिषद, ब्यावर के समक्ष समुचित राशि भी जमा करवाई जा चुकी है इसलिए सक्षम फॉरम पर भूमि को कृषि से अकृषि करवाए जाने के बाबत कार्यवाही करवाए जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित किया गया है जो रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा गलत मानसिकता से प्रस्तुत किया गया था इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए प्रार्थी को पाबंद किए जाने का आदेश पारित कर दिया है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को हैरान व परेशान कर रहा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना स्थगित नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसका पूरा किया जाना असंभव है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2022 की पालना स्थगित किए जाने का आदेश न्याय हित में प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन पर बहस करते हुए बताया कि विवादित आराजी वाके ग्राम गणेशपुरा में स्थित है के खातेदार वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 17 है, परन्तु भूमि को कृषि भूमि के रूप में काम में नही लेकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना किस्म परिवर्तित किये मौके पर आवासीय प्रयोजनार्थ खुर्द-बुर्द कर रहे है जिनका वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 17 को हक व अधिकार नही है इससे सरकार को राजस्व की हानि हुई है।शर्तो को भंग करके हानिप्रद कार्य कर रहे है जिन्हे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया न्यायोचित था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है। प्रार्थीगण/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा मियाद प्रार्थना-पत्र में जो कारण अंकित किये गये है वह संतोषजनक नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जो चलने योग्य नही है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्थगन खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी कारण अंकित किये गये है वह संतोषजनक होने के कारण न्यायहित में प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र पर की

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2022 द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश पारित करते हुए ग्राम गणेशपुरा स्थित विवादित आराजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखी जाने के आदेश पारित किये है। प्रकरण में वर्तमान रेस्पोडेंन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नहीं किये जा रहे हैं तथा प्रकरण लगभग 4 माह से विचाराधीन हैं। जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार एक पक्षीय आदेश पारित होने पर उस आदेश का अन्तर्गत आदेश 39 नियम 3क के प्रावधानों के माफिक 30 दिन के भीतर–भीतर निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र तलबी नोटिस अप्रार्थीगण हेतु एवं जवाब प्रार्थना–पत्र हेतु नियत है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना हैं। न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) में अप्रार्थीगण की शीघ्र तलबी पूर्ण कर, उभयपक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस आदेश से 60 दिवस में करें।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) में अप्रार्थीगण की शीघ्र तलबी पूर्ण कर, उभयपक्षकारान को जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में आवश्यक रूप से निस्तारित करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर